

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

38

प्र0क0

निगरानी-5903/2018 | विदिशा | अ. 25 -

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह
द्वारा आज दिनांक 22/09/18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 22/10/18 नियत।

कलक ओम चोपड़ा
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

- 1- चन्द्रेश उर्फ बालाप्रसाद पुत्र कुंवरलाल
जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम-माला, तहसील
कुरवाई जिला विदिशा (म.प्र.)
- 2- पप्पू पुत्र तोरन आदिवासी
निवासी - ग्राम सिरावदा, तहसील कुरवाई,
जिला विदिशा (म.प्र.)
- 3- मुन्नालाल पुत्र रधुवीर प्रसाद जाति ब्राह्मण
निवासी - ग्राम माला, तहसील कुरवाई, जिला
विदिशा (म.प्र.) ———आवेदकगण

बनाम

जमुना प्रसाद पुत्र सुखलाल जाति ब्राह्मण
निवासी - ग्राम माला, तहसील कुरवाई, जिला
विदिशा (म.प्र.) ———अनावेदक

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
राजस्व मण्डल एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-2

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 एवं सहपठित धारा-8 म.प्र.भू
राजस्व संहिता -1959 विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार
महोदय, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक
01/अ-70/2017-18 में पारित आदेश दिनांक
30-06-2018 से परिवेदित होकर।



माननीय,

आवेदकगण का निगरानी-आवेदन-पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:-

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5903/2018/भूरा/विदिशा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06-03-19	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री दुष्यंत कुमार सिंह चौहान उपस्थित । उनके द्वारा निवेदन कर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस चाहा गया । विचारोपरांत आवेदक के निवेदन पर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है ।</p> <p> 23/3</p>	<p> अध्यक्ष</p>